

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, मार्च 10, 2016/फाल्गुन 20, 1937 No. 605] NEW DELHI, THRUSDAY, MARCH 10, 2016/PHALGUNA 20, 1937

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2016

का.आ. 702(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अर्थ के अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलाप और आवास वित्त कार्यकलाप चलाने वाली सरकारी कंपनियों के लिए पूंजी में ऋण तथा मुक्त आरक्षित का अनुपात 6:1 होगा।

[फा.सं. 01/04/2013-सीएल-V (पार्ट-II)] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## **ORDER**

New Delhi, the 10th March, 2016

**S. O. 702(E).**— In exercise of the powers conferred under the proviso to clause (d) of sub-section (2) of section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (Act), the Central Government hereby notifies that the debt to capital and free reserves ratio shall be 6:1 for government companies within the meaning of clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 which carry on Non-Banking Finance Institution activities and Housing Finance activities.

[F. No. 01/04/2013-CL-V(Pt-II)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

1202 GI/2016